-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 13.02.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा ई-रिक्शा चोरी करने वाले 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी का ई-रिक्शा बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कल दिनांक 12.02.2026 की देर रात्रि को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा ई-रिक्शा चोरी करने वाले 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि थाना कोतवाली नगर क्षेत्र काशीराम कॉलोनी के रहने वाले साकिब पुत्र अनीष द्वारा थाना कोतवाली नगर पर सूचना दी कि दिनांक 09.02.2026 की देर रात्रि को अज्ञात चोर द्वारा उनका इ-रिक्शा घर के सामने से चोरी कर ले गए। सूचना पर तत्काल थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों की पहचान व गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे। इसी क्रम में कल दिनांक 12.02.2026 की देर रात्रि को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा गश्त एवं चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर 02 अभियुक्तों को कनवारा बाईपास के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा पकड़े गये अभियुक्तों से कड़ाई से पूछताछ करने पर दोनों अभियुक्तों ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि दिनांक 07.02.2026 को काशीराम कॉलोनी के पास से चुराया था। मौके से ई-रिक्शा बरामद हुआ।

बरामदगी-

- ✓ ई-रिक्शा

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. नौसाद पुत्र पप्पू निवासी खाईपार हाल पता काशीराम कालोनी थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
2. सुघर सिंह पुत्र रामकिशोर निवासी ग्राम बसहरी थाना मटौंध जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- ✓ मु0अ0स0- 80/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
- ✓ बढ़ोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. श्री दारा सिंह चौकी प्रभारी मर्दननाका
2. उ0नि0 श्री जगदीश प्रसाद त्रिपाठी
3. कां0 महेन्द्र कुमार
4. कां0 अखिलेश कुमार चौहान